न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 156/2018 **दायरा दिनांक : 26.11.2018**

उनवान

अमरलाल आयु 67 साल पुत्र आत्माराम, जाति ब्राहमण, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– शम्भूसिंह आत्मज नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

2– मदनलाल आत्मज मोतीलाल, जाति बंजारा, निवासी सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी.एल.माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.06.2018 द्वारा उपखण्ड

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधिकारी, गंगधार जिससे वाद संख्या 105/2015 वास्ते अन्तर्गत धारा 88/183 वाद वादी खारिज किया गया।

निर्णय **दिनांक : 20.01.2023**

1 वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

2 अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया।

3 वादग्रस्त आराजी ग्राम सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार में ऊंकारसिंह आत्मज गुलाबसिंह राजपूत के खाते में आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 363 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 364 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 266 रकबा 3 बिस्वा कुल 22 बीघा 8 बिस्वा स्थित रही है।

4 वाद चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी खातेदार ऊंकारसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.04.1967 को वादी को दान कर दी। इस दान पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत पारापीपली जर्ये इन्तकाल नम्बर 99 दिनांक 18.04.1966 वादी के खाते दर्ज कर दी व कब्जा वादी को दे दिया।

5 यह कि साबिक खसरा नम्बर 263 मिन रकबा 4 बिस्वा नये खसरा नम्बर 385 रकबा 4 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 263 मिन रकबा 9 बिस्वा नये खसरा नम्बर 386 रकबा 9 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 263 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा नये खसरा नम्बर 387 रकबा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

1 बीघा 1 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 263 मिन रकबा 13 बिस्वा नये खसरा नम्बर 388 रकबा **15 बिस्वा**, साबिक खसरा नम्बर 263 मिन रकबा 1 बीघा नये खसरा नम्बर 390 रकबा 1 बीघा, साबिक खसरा नम्बर 263 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा नये खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 264 मिन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा नये खसरा नम्बर 391 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 252 मिन रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा बिस्वा नये खसरा नम्बर 392 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 393 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा बने ।

6 यह कि प्रस्तुत वाद केवल साबिक खसरा नम्बर 252 जिसके हाल खसरा नम्बर 392 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा बने हैं से सम्बन्धित है। वादी ने यह आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 को पांती से काश्त करने हेतु वर्ष 1967 में दी थी । क्योंकि वादी ब्राहमण है व भिक्षावृति कर परिवार पालता है।

7 यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने खसरा नम्बर 392 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में से 1 बीघा 17 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नम्बर 2 को बेच दी उसका नम्बर 392/1 डाल दिया।

8 यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 वादी को हर वर्ष फसल में पांती देता था फसल की कीमत कूंत कर रूप्ये देता। वादी को उस पर विश्वास था।

9 यह कि प्रतिवादी नं. 1 ने 2 – 3 साल से पांती देना बन्द कर दिया और कहा कि यह आराजी खाते लग गई है। इस पर वादी ने जानकारी लेकर सम्बन्धित नकले प्राप्त की तब पता चला कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने दिनांक 27.06.1967 को आराजी साबिक खसरा नम्बर 252 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा का बेचान स्वयं के नाम करवा लिया । यह

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

बेचान पत्र फर्जी व बनावटी है। इस पर वादी के हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये हैं। वादी कभी भी सबरजिस्ट्रार गंगधार नहीं गया न उसके प्रतिवादी नम्बर 1 से बेचान की रकम 500/– रूपये प्राप्त किये । यह कूटरचित दस्तावेज है व वादी के हितों के सन्मुख प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी नं. 1 ने वादी की गरीबी का नाजायज फायदा ठाया है।

10 यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 2 को किया गया बेचान भी अस्तित्वहीन है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 1 कूटरचित बेचान पत्र के आधार पर खातेदार बना है।

11 यह कि वादी विवादित आराजी साबिक नम्बर 252 हाल नम्बर 392 का वैधानिक रूप से खातेदार है और न्यायालय से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने की पात्रता रखता है । प्रतिवादीगण पिछले 2–3 साल से जबरन कब्जा किये बैठे हैं क्योंकि उन्होंने पांती देना बन्द कर दिया है।

12 यह कि आराजी ग्राम सेमली गेहलोत, तहसील गंगधार में स्थितन होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का अधिकार है।

13 यह कि वाद हेतु करीब 8–10 माह पूर्व पैदा हुआ जब वादी को सभी सम्बन्धित नकले प्राप्त हुई।

14 वादी प्रार्थना करता है कि वादी को हाल खसरा नम्बर 392 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को खसरा नम्बर 392 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 392/1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा से बेदखल किया जाकर वादी को दिलाया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

15 अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प पारापीपली में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उप0। वादी व प्रतिवादी को सुना गया । वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में जिरह हुई। विक्रय/दानपत्र से दिनांक 27.06.1966 को विक्रय/दान पत्र कर दिया है। इस न्यायालय को रजि0 विक्रय/दान पत्र का निरस्त करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रा0 फैसल होकर नम्बर से कम हो।

16 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि –

17 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है।

18 अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में जवाबदावा भी पेश नहीं हुआ तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य भी नहीं हुई। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

19 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है।

20 अपीलांट ने दिनांक 22.06.2018 को अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो वकील साहब ने अदालत में जाकर पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला कि दिनांक 20.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार शिविर पारापीपली में वादी का दावा खारिज कर दिया। जिस कारण दिनांक 22.06.2018 को नकल दरखस्त दी गई तथा नकल दिनांक 23.07.2018 को प्राप्त हुई। जो अन्दर मियाद है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

21 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 अपास्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण से जवाबदावा लेकर, तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

22 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

23 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

24 अधीनस्थ न्यायालय के वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 के अनुसार वाद चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी खातेदार ऊंकारसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.04.1967 को वादी को दान कर दी। इस दान पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत पारापीपली जर्ये इन्तकाल नम्बर 99 दिनांक 18.04.1966 वादी के खाते दर्ज कर दी व कब्जा वादी को दे दिया।

25 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र का पैरा नम्बर 2 में अंकित उक्त तथ्यों को सही किया जावें। क्योंकि जब आराजी दिनांक 17.04.1967 को दान कर दी तो दान पत्र के आधार पर इन्तकाल नम्बर 99 दिनांक 18.04.1966 को कैसे खुल सकता है ?

26 अभिभाषक अपीलांट द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर पारापीपली में वादी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करना बताया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका निर्णय दिनांक

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

20.06.2018 पर वादी और प्रतिवादी के हस्ताक्षर/अगूठा निशानी मय नाम अंकित नहीं है।

27 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर पुनः प्रकरण में विधि सम्मत एवं तनकीहार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.03.2023 को उपस्थित होवें ।

28 निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/01/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा